राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1817 / 2013 / बीकानेर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–ए, बीकानेर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एकमें ऑनलाइन ट्रेड लिंक प्रा.लि.,
खाजूवाला बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13.04.2018

निर्णय

यह अपील, राजस्व द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत अपील संख्या 204 / सीएसटी / 12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह था कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 के विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर रुपये 15,000 / – शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं नोटिस दिये बिना ही शास्ति आरोपित की है, वह अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि कर बोर्ड के इस बिन्दु पर दिये गये निर्णयों में निरन्तर मत रहा है कि बिना नोटिस जारी किये गये अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक है।

फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य